[23/12/2022] 22

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 6–3/2019/47 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2022

प्रति,

संचालक,
गैस राहत एवं पुनर्वास,
1, शिवाजी नगर, भोपाल

विषयः आयुष्मान "निरामयम्" मध्यप्रदेश योजना के अंतर्गत किये जा रहे जांच एवं उपचार में गैस पीड़ित व उनके बच्चों को सम्मिलित किये जाने बावत्।

संदर्भः आपका प्रस्ताव क्रमांक 2559, दिनांक 09–11–2020.

000

राज्य शासन एतद् द्वारा भोपाल गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों की जांच एवं उपचार को आयुष्मान "निरामयम्" मध्यप्रदेश योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(1) राज्य शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 12–07/2018/सत्रह/मेडि–3, दिनांक 31.05.2018 में जारी की गई पात्रता सूची अनुसार सभी पात्रताधारियों को आयुष्मान "निरामयम्" मध्यप्रदेश योजना के तहत् पात्र घोषित किया जाकर तद्नुसार इनके कार्ड बनाये जावें।

(2) उपरोक्तानुसार इन्हें पात्र माने जाने के लिए भारत शासन को भी लिखा जावे। जब तक भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब तक आयुष्मान "निरामयम्" मध्यप्रदेश योजना में इन हितग्राहियों पर होने वाले व्यय की शत–प्रतिशत् पूर्ति राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जावे।

(3) आयुष्मान "निरामयम्" मध्यप्रदेश योजना की सीमा के बाहर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा की जावे और तद्नुसार स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जावे।

यह निर्णय मंत्रि–परिषद् के आदेश दिनांक 18–01–2022 के आयटम क्रमांक–10 में लिया गया है।" अतः उक्त निर्णय का पालन सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के. के. दुबे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

...निरन्तर 2–

226

पृ. कमांक एफ. 6–3/2019/47 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि :

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
02. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
03. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, भोपाल
04. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
05. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
06. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश ग्वालियर
07. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
08. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
09. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान "निरामयम्" मध्यप्रदेश (दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्), आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी.अस्पताल परिसर, भोपाल
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, भोपाल
11. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग